


# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के अन्तर्गत श्रीमती मधुबाला चौधरी व्याख्याता, स्कूल शिक्षा, अंग्रेजी, राबाउमावि. जालोर जन्म तिथि 01.11.1965 ने दिनांक 01.09.2019 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 10.12.2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है।


इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 444 दिनांक 15.10.2019 द्वारा श्रीमती मधुबाला चौधरी व्याख्याता, स्कूल शिक्षा, अंग्रेजी, राबाउमावि. जालोर की दिनांक 01.10.2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृती जारी की गई थी।

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन कर इनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 01.10.2019 के स्थान पर 10.12.2019 पढा जावें। शेष शर्ते मूल आदेश अनुसार यथावत रहेगी।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी-संस्कृत/स्वै.से.नि./2015-16/2018 दिनांक : 6/11/2019  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।
2. संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधी विभाग,
3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर
4. सिस्टम एनेलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक) जालोर
6. प्रधानाचार्य, राबाउमावि. जालोर
7. श्रीमती मधुबाला चौधरी व्याख्याता, स्कूल शिक्षा, अंग्रेजी, राबाउमावि. जालोर (वरि0अ0 पद के वरिष्ठता क्रमांक एवं वर्ष - 1002/1990-92 डीपीसी चयन वर्ष 2013-14)
8. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/प्रभारी ओएसी प्रभाग, अनुभागों को सूचनार्थ।
9. निजी/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर